न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर०ए०एस)

प्रकरण संख्या– 12 / 03 / 2025

जीसीएमएस– 2025 / 71

दायर दिनांक– 09 / 01 / 2025

निर्णय दिनांक– 29 / 08 / 2025

1. योगेन्द्रसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति लोधी (लोधी)निवासी सौंख तहसील कठूमर जिला अलवर।

......अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सौंख पंचायत संमिति कठूमर जिला अलवर।।

..... असल रेस्पोडेंण्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 07.11.2014 विरासत इन्तकाल संख्या 2769 ग्राम सौंख ग्राम पंचायत सौंख अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री भवानी शंकर शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1294, 1295, 1443, 1483, 1486, 1487, 1488, 1490, 785, वाके ग्राम सौंख ग्राम पंचायत सौंख तहसील कठूमर में स्थित है,जो अपीलान्ट मुताबिक जमाबन्दी अपीलाण्ट के पिता धर्मसिंह जाति लोधा निवासी सौंख तहसील कठूमर की 1/3 हिस्से की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी थी अपीलाण्ट के पिता के जीवनकाल में ही फौत हो गये थे। अपीलाण्ट के पिता धर्मसिंह के स्वर्गवास के वाद पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के वारिस के नाम की जॉच किये विना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरूद्ध तरीके से इन्तकाल संख्या 2769 वाके ग्राम सौंख तस्दीक किया है, जबकि अपीलाण्टस का नाम योगेन्द्रसिंह के स्थान पर ओकेन्द्र अंकित कर दिया। जिस गलत इंतकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जॉच किये बिना ही दिनांक 07.11.2014 को इन्तकाल पर सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने दिनांक 07.11.2014 को रेस्पो0 सरपंच ग्राम पंचायत कठूमर के समक्ष वास्ते स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना बुलाये अपीलाण्ट के सही नाम की जानकारी किये बिना जॉच किये बिना पहचान के दस्तावेत लिये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलाण्ट का नाम विजय भारती के स्थान पर योगेन्द्रसिंह के स्थान पर ओकेन्द्र के नाम से स्वीकार कर दिया गया। जो विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 2769 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.12.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 2769 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 07.11.2014 से दिनांक 27.12.2024 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 2769 दिनांक 07.11.2014 वाके सौंख ग्राम पंचायत सौंख तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलाण्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 2769 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.12.2024को पटवारी हल्का के पास प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि फार्म पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर कराने गया तब पटवारी हल्का ने राजस्व रेकॉर्ड देखने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 2769 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट दिनांक 04.08.2025 को वाबजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के अनुपस्थित आये जिनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। अपीलाण्टस के द्वारा अपने पत्रावली के साथ नकल इन्तकाल संख्या 2769 वाके ग्राम बेरका व फॉटो प्रति आधार, जनआधार , पेन कार्ड की पेश किये है जो शामिल पत्रावली किये गये है।

अपीलाण्टस अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम हमें उक्त इन्तकाल संख्या 2769 के बारे में जानकारी दिनांक 27.12.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 2769 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया अपीलान्ट मुताबिक जमाबन्दी अपीलाण्ट के पिता धर्मसिंह जाति लोधा निवासी सौंख तहसील कठूमर की 1/3 हिस्से की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी थी अपीलाण्ट के पिता के जीवनकाल में ही फौत हो गये थे। अपीलाण्ट के पिता धर्मसिंह के स्वर्गवास के वाद पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के वारिस के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से इन्तकाल संख्या 2769 वाके ग्राम सौंख तस्दीक किया है, जबकि अपीलाण्टस का नाम योगेन्द्रसिंह के स्थान पर ओकेन्द्र अंकित कर दिया। जिस गलत इंतकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जॉच किये बिना ही दिनांक 07.11.2014 को इन्तकाल पर सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने दिनांक 07.11.2014 को रेस्पो० सरपंच ग्राम पंचायत कठूमर के समक्ष बास्ते स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना बुलाये अपीलाण्ट के सही नाम की जानकारी किये बिना जॉच किये बिना पहचान के दस्तावेत लिये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलाण्ट का नामयोगेन्द्रसिंह के स्थान पर ओकेन्द्र के नाम से स्वीकार कर दिया

सहायक अधिकारी
(अलवर) राज०

नाम से स्वीकार कर दिया गया। जो विधि विरूद्व तरीके से तरदीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 2769 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.12.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 2769 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 07.11.2014 से दिनांक 27.12.2024 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तरदीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 2769 दिनांक 07.11.2014 वाके सौंख ग्राम पंचायत सौंख तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने अपीलाण्टस अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर इन्तकाल संख्या 2769 दिनांक 07.11.2014 वाके सौंख ग्राम पंचायत सौंख तहसील कठूमर, अलवर निरस्त किये जाने एवं अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

–::आदेश::–

अतः अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत सौंख स्वीकृत इंतकाल संख्या 2769 दिनांक 07.11.2014 वाके ग्राम सौंख ग्राम पंचायत सौंख को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर